कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/नियुक्ति–इति/पीएससी–15/2017 दिनांकः–25.06.2017 के तहत अजय कुमार खुरावा व्याख्याता इतिहास को राउमावि, साबरसर, शेरगढ–जोधपुर में नियुक्त किया गया। अजय कुमार खुरावा ने अपने स्थानांतरण जोधपुर से हनुमानगढ करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में एस.बी.सी याचिका संख्या 12983/2020 अजय कुमार खुरावा बनाम राज्य सरकार व अन्य में दायर की। माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 12.01.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी अजय कुमार खुरावा ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी का हनुमानगढ जिले में राजकीय सेवा में कार्यरत होना, अपनी पुत्री का 01 वर्ष 06 माह के होना और अपने माता–पिता का वृद्ध होने के आधार पर अपना पदस्थापन हनुमानगढ जिले की तहसील टिब्बी, पीलीबंगा व संगरिया में कहीं पर भी करनें कि परिवेदना प्रस्तुत की है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। याचिकार्थी का वर्तमान पदस्थापन जोधपुर जिले के शेरगढ ब्लॉक में है जहॉ पर व्या.इतिहास के 16 पद रिक्त है। अतः याचिकार्थी द्वारा चाहे गये स्थान पर पदस्थापन करने से शेरगढ ब्लॉक में व्या.इतिहास के पद पर अधिक रिक्तियॉ हो जाने से छात्र हित/राज्य हित प्रभावित हो जायेगा। याचिकार्थी द्वारा चयन के समय स्वयं द्वारा परामर्श शिविर में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन किया गया। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/याचिकासंख्या12983/अजयकुमार/को.के/20–21 दिनांकः– 23.3.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जोधपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर